न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता, आई0ए0एस0

विविध रसद प्रकरण सं. 18/2018

प्रार्थी– *बनाम* **अप्रार्थी–**

राजस्थान सरकार जरिये
प्रवर्तन निरीक्षक, सिणधरी

1. श्री हुसैन खां पुत्र श्री करीम खान जाति तेली निवासी ग्राम अणखीया तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर
2. श्री गोमाराम कड़ेला (मकान मालिक) जाति मेघवाल निवासी सरली बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

उपस्थिति :–

1. विभागीय पैरोकार प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री हनीफ खां, अधिवक्ता, अप्रार्थी सं.1 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 30.07.2019

1. प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह है कि जिला रसद अधिकारी बाड़मेर के निर्देशानुसार श्री कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा के नेतृत्व मे प्रार्थी द्वारा दिनांक 27.03.2018 को मुखबीर से प्राप्त सूचना अनुसार श्री हुसैन खां निवासी अणखीया तहसील गुड़ामालानी द्वारा ग्राम नोखड़ा के सरली रोड़ स्थित गोदाम मे अवैध रूप से भण्डारित घरेलु गैस सिलेण्डरों एवं अन्य सामग्री की जांच की गई। मौके पर प्रार्थी के साथ श्री कंवराराम प्रवर्तन अधिकारी बालोतरा, श्री जीयाराम प्रवर्तन निरीक्षक बाड़मेर एवं श्री सवाईराम प्रवर्तन निरीक्षक शिव मुख्यालय बाड़मेर द्वारा उपस्थित व्यक्ति श्री हुसैन खां पुत्र श्री करीम खां ने बताया कि अवैध रूप से भण्डारित गोदाम श्री गोमाराम कड़ेला निवासी सरली का है जिसे स्वंय द्वारा किराये पर लेना बताया। मौतबिरान श्री जोगाराम निवासी गोलिया जैतमाल व श्री मानाराम निवासी नोखड़ा के रूबरू इस गोदाम की जांच की तो 46 घरेलु गैस सिलेण्डर (22 भरे हुए एवं 24 खाली), 1 व्यवसायिक गैस सिलेण्डर (खाली), 2 पेट्रोमैक्स

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गैस सिलेण्डर (खाली), 8 चूल्हे अवैध रूप से भण्डारित होने पाये गये, जिसके संबंध मे मौके पर उपस्थित श्री हुसैन खान द्वारा कोई वैध दस्तावेज (अनुज्ञा पत्र, विस्फोटक विभाग का अनुज्ञा पत्र, प्रमाणित गोदाम नक्शा इत्यादि) जांच दल को प्रस्तुत नही किया गया। उक्त गोदाम मे गैस सिलेण्डरों का अवैध रूप से भण्डार कर घरेलू गैस सिलेण्डरों का क्रय–विक्रय करने के संबंध मे पूछताछ करने पर कोई संतोषजनक जवाब नही दिया गया। मौके पर वक्त जांच मे श्री हुसैन खान द्वारा अवैध रूप से भण्डारित गैस सिलेण्डरों का ब्यौरा निम्न प्रकार दिया गया है–

क्र. सं.	सिलेण्डर का प्रकार	गैस सिलेण्डर न.	गैस कम्पनी का नाम	सिलेण्डर का कुल वजन	खाली सिलेण्डर का वजन	सिलेण्डर मे भरी हुई गैस का वजन
1.	घरेलू	905687T	IOCL	29.500Kg	15.300Kg	14.200Kg
2.	घरेलू	456722	IOCL	30.600Kg	16.400Kg	14.200Kg
3.	घरेलू	471560	IOCL	30.900Kg	16.700Kg	14.200Kg
4.	घरेलू	227210T	IOCL	30.100Kg	15.900Kg	14.200Kg
5.	घरेलू	अस्पष्ट	IOCL	30.000Kg	15.800Kg	14.200Kg
6.	घरेलू	414968	IOCL	15.300Kg	15.300Kg	00.000Kg
7.	घरेलू	282329S	IOCL	15.800Kg	15.800Kg	00.000Kg
8.	घरेलू	269010T	IOCL	15.700Kg	15.700Kg	00.000Kg
9.	घरेलू	141407	IOCL	16.300Kg	16.300Kg	00.000Kg
10.	घरेलू	476696B	IOCL	15.700Kg	15.700Kg	00.000Kg
11.	घरेलू	417353S	IOCL	15.800Kg	15.800Kg	00.000Kg
12.	घरेलू	241871S	IOCL	15.500Kg	15.500Kg	00.000Kg
13.	घरेलू	289014S	IOCL	16.300Kg	16.300Kg	00.000Kg
14.	घरेलू	450348P	IOCL	15.600Kg	15.600Kg	00.000Kg
15.	घरेलू	499055B	IOCL	15.600Kg	15.600Kg	00.000Kg
16.	घरेलू	151764P	IOCL	15.300Kg	15.300Kg	00.000Kg
17.	घरेलू	300894P	IOCL	15.400Kg	15.400Kg	00.000Kg

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाड़मेर

18.	घरेलू	303378E	IOCL	15.900Kg	15.900Kg	00.000Kg
19.	घरेलू	103337	IOCL	17.000Kg	17.000Kg	00.000Kg
20.	घरेलू	133009S	IOCL	15.900Kg	15.900Kg	00.000Kg
21.	घरेलू	R651539	IOCL	15.400Kg	15.400Kg	00.000Kg
22.	घरेलू	849950S	IOCL	15.800Kg	15.800Kg	00.000Kg
23.	घरेलू	955416P	IOCL	15.600Kg	15.600Kg	00.000Kg
24.	घरेलू	730065B	IOCL	15.600Kg	15.600Kg	00.000Kg
25.	घरेलू	689298S	IOCL	15.900Kg	15.900Kg	00.000Kg
26.	घरेलू	069682T	IOCL	15.300Kg	15.300Kg	00.000Kg
27.	घरेलू	047919T	IOCL	15.700Kg	15.700Kg	00.000Kg
28.	घरेलू	256440T	IOCL	15.900Kg	15.900Kg	00.000Kg
29.	घरेलू	अस्पष्ट	अस्पष्ट	17.200Kg	17.200Kg	00.000Kg
30.	व्यवसायिक	107576J	IOCL	19.100Kg	19.100Kg	00.000Kg
31.	घरेलू	794907T	HPCL	30.200Kg	16.000Kg	14.200Kg
32.	घरेलू	024747	HPCL	29.900Kg	15.700Kg	14.200Kg
33.	घरेलू	130108	HPCL	30.000Kg	15.800Kg	14.200Kg
34.	घरेलू	836440J	HPCL	29.900Kg	15.700Kg	14.200Kg
35.	घरेलू	529952T	HPCL	30.000Kg	15.800Kg	14.200Kg
36.	घरेलू	403166	HPCL	30.000Kg	15.800Kg	14.200Kg
37.	घरेलू	384572S	HPCL	30.000Kg	15.800Kg	14.200Kg
38.	घरेलू	531286S	HPCL	29.700Kg	15.500Kg	14.200Kg
39.	घरेलू	48331S	HPCL	30.100Kg	15.900Kg	14.200Kg
40.	घरेलू	141015S	HPCL	30.000Kg	15.800Kg	14.200Kg
41.	घरेलू	389291	HPCL	30.600Kg	16.400Kg	14.200Kg
42.	घरेलू	695558T	HPCL	30.000Kg	15.800Kg	14.200Kg
43.	घरेलू	250000P	HPCL	29.700Kg	15.500Kg	14.200Kg

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

जिला कलक्टर
बाडमेर

44.	घरेलू	438428	HPCL	29.700Kg	15.500Kg	14.200Kg
45.	घरेलू	579770S	HPCL	30.100Kg	15.900Kg	14.200Kg
46.	घरेलू	744343T	HPCL	29.800Kg	15.600Kg	14.200Kg
47.	घरेलू	295855S	HPCL	29.800Kg	15.600Kg	14.200Kg
48.	पेट्रोमैक्स	खराब	-	05.470Kg	05.470Kg	00.000Kg
49.	पेट्रोमैक्स	खराब	-	05.370Kg	05.370Kg	00.000Kg

मौके पर उक्त गोदाम मे पाये गये घरेलु एवं व्यवसायिक उपयोग के गैस सिलेण्डर का अवैध रूप से भण्डारण एवं संग्रह करने पर उक्त गैस सिलेण्डरों एवं चूल्हों को जब्त सरकार किया गया। उक्त गैस सिलेण्डर को मैसर्स गुड़ामालानी एसपी गैस गुड़ामालानी के व्यवस्थापक श्री मगाराम चौधरी पुत्र श्री जयरूपाराम जाति कलबी निवासी गुड़ामालानी को सुपुर्दनामा पर सुपुर्द किया गया। इसके साथ ही मौके पर गोदाम की जांच मे 45 उपभोक्ताओं की गैस कनेक्शन संबंधी डायरियां प्राप्त हुई, इस संबंध मे अप्रार्थी श्री हुसैन खान द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नही दिया। मौके पर पाई गई उपभोक्ताओं की गैस कनेक्शन डायरियां भी जब्त सरकार की गई। अप्रार्थी द्वारा अनाधिकृत रूप से घरेलु एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं संग्रह कर क्रय–विक्रय करना द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(बी,सी), 4 के 1(ग)(2), 6 व 7(1)(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के तहत उपरोक्त सीजशुदा गैस सिलेण्डरों मय गैस, चूल्हों व पैट्रोमैक्स का राजसात करने का आदेश फरमाया जावें।

2\. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये पंजिबद्व डाक द्वारा नोटिस जारी किया गया । अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित।

3\. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष को सुना। प्रार्थी की ओर से विभागीय पैरोकार ने प्रकट किया कि अप्रार्थी के किराये द्वारा आधिपत्य वाले गोदाम पर घरेलु एवं व्यवसायिक श्रेणी गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण एवं संग्रहण द्वारा क्रय–विक्रय करते हुए पाये जाने पर उक्त सिलेण्डरों कसे मौतबिरान के रूबरू सीज किया गया है जो वर्तमान मे

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

स्थानीय वितरक मैसर्स गुड़ामालानी एचपी गैस गुड़ामालानी को सुपुर्दगी पर दिया गया है। मौके पर अप्रार्थी सं. 01 द्वारा अनाधिकृत रूप से उक्त गैस सिलेण्डरों एवं चूल्हों एवं 45 गैस कनेक्शनधारियों की डायरियां को अवैध रूप से भण्डारण करना पाया गया हैं। अप्रार्थी सं. 1 के द्वारा एक्त गैस सिलेण्डरों के भण्डारण बाबत कोई अनुज्ञा पत्र, विस्फोटक विभाग का अनुज्ञा पत्र, प्रमाणित गोदाम का नक्शा, ग्राहक अंशदान वाउचर, बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। इस प्रकार अप्रार्थी सं. 1 द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(बी,सी), 4 के 1(ग)(2), 6 व 7(1)(सी) का उल्लंघन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए किन्तु अपने कथन मे ऐसा कोई ठोस साक्ष्य सबूत सहित पक्ष प्रस्तुत नही किया है और न ही प्रतिवाद किया है। ऐसे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के प्रावधानों विपरित एवं धारा 7 के अधीन दण्डनीय कृत्य के फलस्वरूप सीजशुदा सामग्री उपरोक्त विवरण के घरेलु एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस एवं चूल्हे राजसात किये जाने का समुचित आधार मौजूद है।

4. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के कब्जे मे आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं तद्धीन बनाये गये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 के 1(बी,सी), 4 के 1(ग)(2), 6 व 7(1)(सी) का उल्लंघन मे पाये गये उपरोक्त गैस सिलेण्डर मय गैस एवं चूल्हे राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी बाड़मेर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राजसात की गई एवं सुपुर्दगी पर दी गई सामग्री घरेलु गैस सिलेण्डर मय द्रविकृत गैस का निस्तारण कर प्राप्त राशि राजकोष मे जमा कराने की कार्यवाही करें। इसके अलावा जब्त किये गये गैस सिलेण्डर्स जिस स्थानीय वितरक गैस एजेन्सी से सम्बन्धित हैं उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर पालना से अवगत करावें।

5. आदेश आज दिनांक 30.07.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(हिमांशु गुप्ता)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर